

संख्या: ३३२ / X-4-15/1(159) / 2015

प्रेषक,

पीएकेएपान्नो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
इन्हीं हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४

देहरादून दिनांक: ३० मई, 2015

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में फाराखोली से भल्ली मधोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.८०२ हेतु आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३१४३/१.जी-FP/UK/ROAD/10८०३/२०१५ दिनांक ०६ मई, २०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में फाराखोली से गल्ली मधोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.८०२ हेतु आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सेंद्रियिक जीकृति, मारत सारकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-११-०९-९८-एफ०सी० दिनांक ०७ नवम्बर, २०१४, शासनादेश संख्या एफ०न०-११-०९-९८-एफ०सी० दिनांक १३ फरवरी, २०१४, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय द्वापर्यावरण अनुभाग स०-८५२ / F/XVIII-(2)२०१३&१५(३४)२०१३ दिनांक २५ जुलाई, २०१३ एवं कार्यवृत्त दिनांक १०.०४.२०१५ में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण का प्रयोग करते हुए अद्यतिथित शालों/प्रतिकदन्तों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के घदले ५.६०४, हेतु सिविल सेव्यम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वित्तमान वेतन दरों को राखाहित करने हेतु यथासंशोधित) जगा की जायेगी। उक्ता भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नानान्तरण किया जायेगा तथा छ: माह में आरक्षित/रांगड़िल वन मूलि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नानान्तरण की उम्मत जर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही भेदभान्तिक स्त्रीकृति निर्गत जानी जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आम-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वित्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जगा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९६ के अंतर्गत आई०ए०स०-५६६ एवं भारत सरकार पत्र स०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०६.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जगा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं कि राशि स्तर से धरि एन०पी०वी० की दर में बढ़ातरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जगा की जाएगी।
- मारत सरकार पत्र स०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०६.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी अभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के लदर्थ निकाम्त के लेखा स०-एस०वी०-२५२२९ कार्पोरेशन बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम), छात्रक-11 भूतल सी0जी0ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा माठ उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अनुर्गत अर्डेंटेन्डेंसी-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05 3/2007-एफएसी० दिनांक 05.02.2008 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध बर्तमान भूम्य (एन0पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबोधन तथा योजना प्राधिकारण के रावर्ध निकाय कार्यालय बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), छात्रक-11 भूतल सी0जी0ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पायती की छायाप्रति, जमा की गई धनांशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक की छायाप्रति शहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आव्या (जिसमें जमा की गई धनांशि का भद्रवार विवरण अर्थात् एन0पी०वी, सतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्वात स्वीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्थानियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्टी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्टी द्वारा प्रस्ताव में शिहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा अरांतोपज्ञनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विद्वित रक्तीकृति निर्वत की जायेगी।

भवदीय

(राजेन्द्रपात्र)

अपर सचिव।

संख्या: ३३२ (१)/ X-४-१५/१(१५०)/२०१६, उद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (फैलीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफएआई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालोकाकार, लोक एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ यूनियन, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अधियंत्र, निष्ठा, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
8. निवेशक, राज्यीय सूचना केन्द्र (NJC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई०सी० की ऐवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फार्मल।

आड्डा से

(श्याम सिंह)

त्रुप सचिव।